

गायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापु
 मु० न०:- 03 / 2024 तारीखरजु:- 9-1-24

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापु सिटी
 उन्वान:- कमला वनाम गिलाडी वगै०
 दावा बाबत बेदखली आराजीयात, स्थायी निषेधाज्ञा
 फर्द अहकाम
 14/2/24 9-1-24

दिनांक 9-1-24
 वादी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने दावा बाबत बेदखली आराजीयात, स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 14.02.2024 को पेश हो।

(सुनीता मीना)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापु सिटी

14/2/24 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 1 लगाने 57 लगाने 12 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो राग्रिव पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी न० 6 के नोटिस लम्बे विधिवत नही हुए है पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को डिजाफर डी गई। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने की डिमांड 28-2-24 को पेश हो।



28/2/24 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... सुनीता मीना... की... डेनिंग में जमपुक पधारे है। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 14.2.24 को पेश हो।

1/2/24 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... सुनीता मीना... की... में व्यक्त है। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 14.2.24 को पेश हो।

1/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपपडाकारान डफ० प्रतिवादी न० 6 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को डिजाफर डी गई। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने डिमांड 21.5.24 को पेश हो।

ग्राम उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करीली

फर्द अहकाम

नाम: दकील/वकील अब पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी.....
पत्रावली गतानुसार दिनांक.....

वकील/वकीला उमय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी.....
पत्रावली गतानुसार दिनांक.....

पत्रावली पेसा हुई / वादी उप यादी वकील
कोई उपस्थित नहीं हुआ / वार १ भावना
पुष्करी ठाई इसके समयान्त भी वादी उप
यादी वकील कोई उपस्थित नहीं हुआ
इसलिए वादी का दावा नकारा विशेषाज्ञा
का वादी वकील की छुट्टी पर पत्रावली के
व्यतिरिक्त किया जाना है / पत्रावली के
समय ही नकार के कारण फर्द जारी
करा है